

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Civil Second Appeal No. 109/2017

8.8.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम एम रंजन
मय सहयोगी अधिवक्ता श्री दौलत शर्मा।
प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री मनोज भारद्वाज।

अपीलार्थी-प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 151 सीपीसी बाबत विवादित दुकान की मरम्मत की अनुमति
के क्रम में सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी-प्रतिवादी की ओर से निवेदन
किया गया कि विवादित दुकान में वर्तमान में मरम्मत की
आवश्यकता है, जिसकी अनुमति प्रदान की जावे।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी-वादी द्वारा उक्त तर्कों का विरोध
किया गया किन्तु साथ ही यह भी निवेदन किया गया कि यदि
अपीलार्थी को विवादित दुकान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं
करने तथा भविष्य में मरम्मत की राशि अपीलार्थी से क्लेम नहीं
किए जाने की शर्त के साथ यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता
है तो उन्हें आपत्ति नहीं है।

सुना गया एवं विचार किया गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्तागण की
ओर से किए गये निवेदन की रोशनी में **प्रार्थना पत्र संख्या**
21523/2018 इन शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है कि :-

1— अपीलार्थी—प्रतिवादी भविष्य में कभी भी न तो मरम्मत में व्यय की गई राशि प्रत्यर्थी—वादी से वसूल करने का अधिकारी होगा और ना ही उक्त राशि मध्यवर्ती—लाभ में समायोजित कर सकेगा,

2— अपीलार्थी—प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त मरम्मत की आड में न तो प्रत्यर्थी—वादी की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचायेगा और न ही विवादित सम्पत्ति के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन करेगा।

दोनों पक्षों को आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 सीपीसी** बाबत मध्यवर्ती—लाभ के क्रम में सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गये निवेदन की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी—प्रतिवादी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से हर माह विवादित सम्पत्ति के क्रम में **4,000/—रूपये प्रतिमाह** मध्यवर्ती लाभ के रूप में प्रत्यर्थी—वादी के बैंक खाता में जमा करायेगा। उक्त मध्यवर्ती लाभ के रूप में प्रथम बार राशि **20.8.2018** को जमा कराई जावेगी व तदुपरांत प्रत्येक माह की **15 तारीख तक** जमा कराई जाती रहेगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से लेकर अब तक की समस्त बकाया (ऐरियर) राशि एक माह की अवधि में जमा कराई जावें।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी—वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह **एक सप्ताह में** वादी के बैंक खाता नम्बर तथा बैंक का नाम व शाखा की सूचना से अपीलार्थी—प्रतिवादी को अवगत करावें।

(**महेन्द्र माहेश्वरी**)
न्यायाधिपति